अधिशासी अभियंता,
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

मेसर्स बाबा बिल्डर्स,
218डी, जयन्तीपुर, सुलेम सराय,
इलाहाबाद।

: 250/अधि0अभि0/वि0प्रा0/2017–18 दिनांक : 28/03/2018

: **कालिन्दीपुरम् आवास योजना के गोकुल सेक्टर में मा0 प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 04 मंजिले दुर्बल आय वर्ग के 312 भवनों के निर्माण एवं विकास कार्य के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक कार्य की निविदा धनांक **रु0 15,53,17,802.83** की स्वीकृति आपके पक्ष में सर्वनिम्न कारण **उपाध्यक्ष महोदय** द्वारा दिनांक **26.03.2018** को प्रदान कर दी गयी है। उपरोक्त स्वीकृत धनांक **रु0 15,53,17,802.83** का 10% जमानत धनराशि धनांक **रु0 1,55,31,800/–** N.S.C./F.D.R .D.R. or Cash (paid through RTGS) के रूप में जमा करा दें। शासनादेश संख्या–102286–355/ /73 एवं दिनांक 12.06.2006 आयुक्त स्टाम्प उ0प्र0 इलाहाबाद के अनुसार रु0 110.00 के स्टैम्प पेपर बन्ध सम्पादित करायें।

यदि पत्र प्राप्ति के 07 दिनों के अन्दर आप द्वारा वांछित जमानत धनराशि N.S.C./F.D.R/B.G./ /Cash के रूप में जमा कराते हुए अनुबन्ध की कार्यवाही सम्पादित नहीं कराई जाती है तो आपकी अस्वीकृत कर दी जाएगी तथा धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा साथ ही भवन एवं ण अधिनियम 1996 सपठित उ0प्र0 नियमावली, 2009 के अनुसार नियमानुसार कार्य पर कार्यरत का पंजीकरण प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा। यह मयवद्ध एवं गुणवत्ता पूर्वक किया जाना है। निम्न उपबन्धों का भी अनुपालन किया जाय–

- ठेकेदार को भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तत्सम्बन्धी प्रदेश नियमावली 2009 में विहित प्राविधानों का अनुपालन करना होगा।
- ठेकेदार को राज्य कर्मकार बीमा एक्ट 1948 के प्राविधानों का अनुपालन करना होगा।
- ठेकेदार को न्यूनतम् वेतन अधिनियम 1952 प्राविडेन्ट एक्ट 1925 तथा वेतन आदि का भुगतान करना होगा।
- ठेकेदार को नियमानुसार GST एवं लेबर सेस आदि का भुगतान करना होगा।
- शेष कटौतियाँ उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के नियमों के अनुरूप की जायेगी।
- कार्य की गुणवत्ता जांच हेतु आवश्यक शुल्क का भुगतान ठेकेदार को करना होगा।
- कार्य का अनुश्रवण राज्य/केन्द्र सरकार के स्तर से भी किया जाना है, अतः स्थल पर ठेकेदार द्वारा नियमानुसार कुशल अभियंताओं की भी तैनाती किया जाना होगा।
- स्थल पर निर्माण सामग्री की जांच हेतु एक प्रयोगशाला भी निर्मित करना होगा।

उपरोक्त शर्तों के अनुपालन का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

प्रारम्भ की तिथि : 02.04.2018
समाप्त की तिथि : 01.10.2019

भवदीय,

**अधिशासी अभियंता,**
इ0वि0प्रा0

पि:–
- सचिव महोदय को सूचनार्थ।
- मुख्य अभियंता महोदय को सूचनार्थ।
- वित्त नियंत्रक महोदय को सूचनार्थ।
- उप श्रमायुक्त, इलाहाबाद, 9, म्यो रोड, इलाहाबाद को सूचनार्थ।
- सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

**अधिशासी अभियंता**

कार्यालय जिलाधिकारी, प्रताप

Sardar Patel Marg, ...-211001
(+91)-8853467068, (0532)-226019...